आखिरी जांच: 10 अक्टूबर 2026 · HP Scheduled Castes and Scheduled Tribes Development Corporation (HPSCSTDC)

SC/ST Study Loan Scheme (Corporation's Own Scheme), HPSCSTDC

हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति एवं जनजाति विकास निगम अपनी खुद की योजना से अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों को व्यावसायिक या तकनीकी डिग्री और डिप्लोमा कोर्स के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर शिक्षा ऋण देता है।

क्या मिल सकता है

पाँच साल के पूरे कोर्स के लिए 1,50,000 रुपये तक का ऋण, 4 प्रतिशत ब्याज पर, जो निगम सीधे देता है। चुकौती 5 साल में होती है और नौकरी या कारोबार शुरू करने या कोर्स पूरा होने, जो पहले हो, तब से शुरू होती है।

किसके लिए है

हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्र, जो मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय में डिग्री या डिप्लोमा कोर्स के नियमित छात्र हैं।

मुख्य शर्तें

- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के परिवार के सदस्य हों और हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी हों।
- परिवार की वार्षिक आय 1,00,000 रुपये से अधिक न हो।
- मान्यता प्राप्त संस्था या विश्वविद्यालय के नियमित छात्र हों।
- किसी बैंक या वित्तीय संस्था के डिफॉल्टर न हों।

आवेदन कैसे करें

1. निगम के लोन पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन करें। निगम की वेबसाइट खोलकर Login टैब पर क्लिक करें और अपने ईमेल या मोबाइल नंबर से नया खाता बनाएँ।
2. अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें, दिखाया गया कैप्चा कोड भरें और निगम की सूची में से अपनी पसंद की ऋण योजना चुनें।
3. ओटीपी किसी को न बताएँ। निगम के अनुसार उसका कोई कर्मचारी कभी ओटीपी नहीं माँगता।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://hpscstdc.hp.gov.in/scheme/study-loan
आधिकारिक आवेदन: https://hpscstdcloan.hp.gov.in/auth/login
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/himachal-pradesh/hp-hpscstdc-sc-st-study-loan/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।